

**“सूचना का अधिकार” अधिनियम – 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही**

क्र.सं.	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का दिनांक	सूचना प्राप्तकर्ता का नाम व पता	वांछित सूचना का विवरण	सूचना देने की दिनांक	सूचना से सम्बन्धित प्रतियों की संख्या	शुल्क जो प्राप्त किया (रु)	सूचना हेतु की गई कार्यवाही
1	10-Sep-06	रामकिशोर फिड़ोदा सम्पादक “गाँव- ढाणी” मासिक	वर्ष 2004-05 व 05-06 की ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रतियाँ	-	-	-	उक्त सूचनाये प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शुल्क 40,000 रु. जमा कराने हेतु श्री फिड़ोदा को एसपीएमयू से दिनांक 04.11.06 को पत्र भेजा गया।
2.	23-Nov-06	रामचरण माली पत्रकार शाहाबाद, जिला – बारां	डीपीआईपी, बारां में लाखों रुपये की राशि का भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में सूचना देने बाबत।	-	-	-	प्रकरण बारां से सम्बन्धित है। एसपीएमयू के पत्र दिनांक 06.12.06 के क्रम में डीपीआईपी, बारां ने श्री माली को नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्रतिया प्राप्त करने हेतु पत्रांक 1228-31 दिनांक 03.02.07 द्वारा सूचित कर दिया गया।
3.	27-Feb-07	रामकिशोर फिड़ोदा सम्पादक “गाँव- ढाणी” मासिक	1. दिनांक 01.01.06 से 31.12.06 तक राज्य परियोजना निदेशक द्वारा किये गये समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की छाया प्रति। 2. दिनांक 01.01.05 से 31.12.06 तक प्राप्त शिकायतों एवं उनकी जांचों की जांच रिपोर्ट की छाया प्रति 3. दिनांक 01.01.05 से 31.12.06 तक की ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रति।	-	-	-	उक्त सूचनाये प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शुल्क 43,614 रु. जमा कराने हेतु श्री फिड़ोदा को एसपीएमयू से दिनांक 24.03.07 को पत्र भेजा गया।
4.	28-Mar-07	सुमेर सिंह मीणा, प्रो. रणथम्भौर विजुअल सोल्युशन, राजसमन्द	डीपीआईपी राजसमन्द में एम.आई.एस. संचालन एवं परामर्श प्रदाता (मय कम्प्युटर) निविदा में अनियमितता की जांच से सम्बन्धित पत्रावलियों की छाया प्रति।	03.11.06 07.11.06	65 14	130 28	श्री सुमेर सिंह के द्वारा औपचारिक आवेदन करने से पूर्व ही डीपीआईपी, राजसमन्द द्वारा सूचना की कुल 79 प्रतियाँ दिनांक 03.11.06 एवं 07.11.06 को उपलब्ध करवा दी गई हैं तथापि एसपीएमयू के पत्र दिनांक 29.03.07 के द्वारा डीपीएमयू, राजसमन्द को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने को निर्देशित कर दिया गया है।